सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 91 राँची, सोमवार

27 माघ, 1936 (श०)

16 फरवरी, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

13 फरवरी, 2015

संख्या-1/विविध-862/2013 का0- 1310-- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना संख्या-सा0का0नि0-67(अ0) दिनांक 28 जनवरी, 2014 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम-7(1) एवं 7(5) के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए सिविल सेवा बोर्ड का गठन निम्नवत् की जाती है:-

i)	मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
ii)	वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव	-	सदस्य

iii) प्रधान सचिव/सचिव,

कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग - सदस्य सचिव

2. सिविल सेवा बोर्ड के कार्य:-

(क) सिविल सेवा बोर्ड संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियों हेतु सिफारिश करेगा ।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-7 के उप नियम (3) और (4) के तहत यथानिर्धारित न्यूनतम कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित अधिकारियों के मामलों की जाँच करेगा ।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-7 के उप नियम (3) और (4) के तहत निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थानान्तरण पर उन अपेक्षित परिस्थितियों के आधार पर विचार करेगा जिनसे सिविल सेवा बोर्ड स्वयं संतुष्ट हो ।

(घ) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानान्तरित किए जाने वाले अधिकारियों के नाम लिखित रूप से रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करेगा ।

3. प्रक्रिया:-

(क) सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पहले किसी अधिकारी के स्थानान्तरण हेतु सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य प्राप्त करेगा ।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड -

i) अन्य विश्वस्त स्रोतों से उसको प्राप्त अन्य निविष्टयों सहित प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

ii) बोर्ड के पास स्थानान्तरित किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिकारी से प्रस्ताव के औचित्य के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत की गई परिस्थितियों के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ प्राप्त करेगा ।

iii) समयपूर्व स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कारणों से संतुष्ट हुए बिना इस प्रकार के स्थानान्तरण की सिफारिश नहीं करेगा ।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थानान्तरण हेतु अनुशंसित अधिकारियों का स्पष्ट विवरण और उसके कारणों सहित उसके द्वारा उचित समझे गए प्रारूप में केन्द्र सरकार को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों को रद्द कर सकता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस0के0 शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 91—50 ।